बिहार विधान परिषद | कार्य सूची

संख्या-5 | 212वां सत्र

सोमवार, दिनांक 09 फरवरी, 2026
12.00 बजे मध्याह्न

प्रश्नोत्तर

1. अल्पसूचित प्रश्न
2. तारांकित प्रश्न

औपचारिक कार्य

3. सचिव, विधेयक संबंधी संदेश, यदि कोई हो, पढ़ेंगे।
4. सचिव, विधान सभा से स्वीकृत विधेयक, यदि कोई हो, मेज पर रखेंगे।

परिनियत कार्य

5. प्रभारी मंत्री, बिहार नगरपालिका विधि सेवा नियमावली, 2025 एवं बिहार नगरपालिका योजना सेवा नियमावली, 2025 (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।
6. प्रभारी मंत्री, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2025 (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।
7. प्रभारी मंत्री, बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 एवं बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि (संशोधन) नियमावली, 2025 (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।

8. प्रभारी मंत्री, वाणिज्य–कर विभाग द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 तथा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत निर्गत कुल 16 (सोलह) अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।

ध्यानाकर्षण

9. श्री कुमार नागेन्द्र, राज्य के पंचायत रोजगार सेवक, टोला सेवक, डाटा इंट्री ऑपरेटर जैसे कर्मचारियों को ससमय मानदेय भुगतान करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
10. श्री दिलीप कुमार सिंह, औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंडान्तर्गत ग्राम-सिमरी खुर्द, मौजा-महाराजगंज में शीघ्र अंडरपास सड़क निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
11. श्री तरूण कुमार, एग्री स्टैक के अंतर्गत किसान कार्ड का निर्माण संयुक्त जमाबंदी के साथ वंशावली के आधार पर कराये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
12. श्री राजीव कुमार, राज्य में पंचायत के वार्ड सदस्यों को पूर्व की भांति अपने-अपने वार्ड के विकास का जिम्मा देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
13. श्री अशोक कुमार, नवादा जिलान्तर्गत पकरीबरावां प्रखंड के ग्राम पंचायत धमौल में प्रखंड कार्यालय का सृजन कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

14. वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण का उपस्थापन

15. प्रभारी मंत्री, वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण का उपस्थापन करेंगे।
16. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य, यदि कोई हो।

6/2/26

(अखिलेश कुमार झा)
सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक-वि.प.वि.-05/2026 – 130 (3) / वि.प.। दिनांक – 06.02.2026

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, बिहार / माननीय मंत्रीगण / माननीय मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय / मुख्यमंत्री सचिवालय (चार प्रतियों में) / माननीय राज्यपाल, बिहार के सचिव / माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आवासीय कार्यालय एवं बिहार विधान सभा स्थित कार्यालय वेश्म / प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/ लोकायुक्त, बिहार / महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय / बिहार सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी राज्यों के विधान मंडलों के सचिव / लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली / पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली / बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार / अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना / समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ उप सचिव, नेवा सेल / जन-सम्पर्क पदाधिकारी एवं प्रभारी, नेवा सेल, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/02/26

(ज्ञान प्रकाश)

निदेशक

बिहार विधान परिषद्

بہار قانون ساز کاؤنسل
فہرست امور

شمارہ-۵

۲۱۲واں اجلاس

سوموار، مورخہ ۹رفروری، ۲۰۲۶

۱۲ بجے دن

سوال و جواب

۱. مختصر میعادی سوال

۲. علامتی سوال

رسمی امور

۳. سکریٹری، بل سے متعلق پیغام، اگر کوئی ہو، پڑھیں گے۔

۴. سکریٹری، قانون ساز اسمبلی سے منظور بل، اگر کوئی ہو، میز پر رکھیں گے۔

ضابطے کے تحت کارروائی

۵. انچارج وزیر، بہار میونسپلٹی لیگل سروس ایکٹ، ۲۰۲۵ اور بہار میونسپلٹی منصوبہ سروس ایکٹ، ۲۰۲۵ (ہندی اور انگریزی) کی ایک ایک کاپی ایوان کی میز پر رکھیں گے۔

۶. انچارج وزیر، بہار سرکاری ملازمین (کلاسیفائڈ، کنٹرول واپیل) (ترمیم) ضابطہ نامہ، ۲۰۲۵ (ہندی اور انگریز) کی کاپی ایوان کی میز پر رکھیں گے۔

۷. انچارج وزیر، بہار سرکاری ملازمین کی مدت آزمائش ضابطہ نامہ، ۲۰۲۴ اور بہار سرکاری ملازمین کی مدت آزمائش (ترمیم) ضابطہ نامہ، ۲۰۲۵ (ہندی اور انگریزی) کی ایک ایک کاپی ایوان کی میز پر رکھیں گے۔

۸.	انچارج وزیر، محکمہ کامرشیل ٹیکس کے ذریعہ بہار قدر افزودہ ٹیکس ایکٹ، ۲۰۰۵ اور بہار مال و سروس ٹیکس ایکٹ، ۲۰۱۷ کے تحت جاری کل ۱۶ (سولہ) نوٹیفکیشنوں کی ایک ایک کاپی ایوان کی میز پر رکھیں گے۔

توجہ طلب اطلاع

۹.	جناب کمار ناگیندر، ریاست کے پنچایت روزگار سیوک، ٹولہ سیوک، ڈاٹا انٹری آپریٹر جیسے ملازمین کو بروقت اعزازی رقم ادا کرنے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

۱۰.	جناب دلیپ کمار سنگھ، اورنگ آباد ضلع کے کُٹمبا بلاک کے تحت گرام سمری خرد، موضع مہاراج گنج میں جلد انڈر پاس سڑک کی تعمیر کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

۱۱.	جناب ترون کمار، ایگری اسٹیک کے تحت کسان کارڈ کی تیاری مشترکہ جمع بندی کے ساتھ شجرۂ نسب کی بنیاد پر کرائے جانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

۱۲.	جناب راجیو کمار، ریاست میں پنچایت کے وارڈ اراکین کو قبل کی طرح اپنے اپنے وارڈ کی ترقی کا ذمہ دینے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

۱۳.	جناب اشوک کمار، نوادہ ضلع کے تحت پکری براواں بلاک کے گرام پنچایت دھمول میں بلاک آفس بنانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

مالی امور

مالی سال ۲۰۲۶-۲۷ کے بجٹ پر عام بحث

۱۴.	مالی سال ۲۰۲۶-۲۷ کے بجٹ پر عام بحث

مالی سال ۲۰۲۵-۲۶ کے بجٹ سے متعلق تیسری ضمنی بجٹ تفصیلات کی پیشی

۱۵.	انچارج وزیر، مالی سال ۲۰۲۵-۲۶ کے بجٹ سے متعلق تیسری ضمنی بجٹ تفصیلات پیش کریں گے۔

۱۶.	دیگر انتہائی ضروری امر، اگر کوئی ہو۔

6/2/26
(اکھلیش کمار جھا)

سکریٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل

مکتوب نمبر-(3)130-05/2026		06.02.2026

ترجمہ کردہ : اردو شعبہ، بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ

06.02.26
(نسرین بانو)

سیکشن افسر

اردو شعبہ، بہار قانون ساز کاؤنسل

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय, **212वां सत्र**

राज्य के वैसे कर्मचारी जिनका मानदेय 30000/- रुपए प्रतिमाह से कम है, उन्हें अधिकांश बार काफी विलंब से मानदेय मिलता है। अल्प मानदेय मिलने के कारण इन्हें परिवार के भरण-पोषण में काफी कठिनाई होती है। उदाहरणस्वरूप राज्य में कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक, टोला सेवक, डाटा इंट्री ऑपरेटर इत्यादि कर्मचारियों को ससमय मानदेय भुगतान होना चाहिए।

अतः राज्य के वैसे कर्मचारी जिनका मानदेय 30000/- रुपए प्रतिमाह से कम है को ससमय मानदेय भुगतान हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-
कुमार नागेन्द्र
स०वि०प०

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-24/2026-228(1)वि०प०। दिनांक:-02.02.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पंचायती राज विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-09.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

02.02.2026
(मनोज कुमार)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

بہار قانون ساز کاؤنسل

توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

ریاست کے ویسے ملازمین جن کا اعزازیہ -/30000 روپے ماہانہ سے کم ہے، انہیں اکثر بار کافی تاخیر سے اعزازیہ ملتا ہے۔ کم اعزازیہ ملنے کی وجہ سے انہیں خاندان کی دیکھ بھال میں کافی دشواری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ریاست میں بحال پنچایت روزگار سیوک، ٹولہ سیوک، ڈاٹا انٹری آپریٹر وغیرہ ملازمین کو بروقت اعزازیہ کی ادائیگی ہونی چاہئے۔

لہٰذا، ریاست کے ویسے ملازم جن کا اعزازیہ -/30000 روپے ماہانہ سے کم ہے، کو بروقت اعزازیہ کی ادائیگی کے لئے حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

کمار ناگیندر

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مکتوب نمبر: 24/2026-228(1) مورخہ: 02.02.2026

معزز رکن، مورخہ 09.02.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

02.02.2026

(منوج کمار)

ڈپٹی سکریٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय, 212वां सत्र

औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत ग्राम सिमरी खुर्द, मौजा महराजगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग-98 (NH-98) के अंतर्गत बाईपास सड़क निर्माण कार्य के दौरान संवेदक द्वारा लगभग पचास वर्षों से अधिक समय से प्रचलित एक सार्वजनिक रास्ते को पूर्णतः बंद कर दिया गया है, जबकि यह रास्ता पूर्व से नक्शा-खतियान में दर्ज है। बताया गया है कि पुल निर्माण कार्य के नाम पर इस रास्ते को पिछले एक वर्ष से अधिक समय से अवरुद्ध रखा गया है, आवागमन में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। विद्यालय, अस्पताल, खेत-खलिहान एवं दैनिक आवश्यकताओं के लिए लोगों को वैकल्पिक और लंबा मार्ग अपनाने को विवश होना पड़ रहा है।

इस गंभीर समस्या से स्थानीय नागरिकों द्वारा जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, परंतु अब तक कोई प्रभावी अथवा ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यह भी तथ्य है कि NH-98 अंतर्गत मटपा में अंडरपास रोड तथा सिमरी कला में अंडरपास रोड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, किंतु इसके विपरीत सिमरी खुर्द, मौजा महराजगंज में वर्षों पुराने सार्वजनिक रास्ते को बंद कर दिया गया है।

अतः औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत ग्राम सिमरी खुर्द, मौजा महराजगंज में शीघ्र अंडरपास रोड के निर्माण की व्यवस्था कराई जाए तथा साथ-साथ वर्षों से प्रचलित पुराने रास्ते को तत्काल चालू कराने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य का मांग करता हूँ।

ह०/-
दिलीप कुमार सिंह
स०वि०प०

ज्ञापांकः-वि.प.अ.प्र.-25/2026-227(1)वि०प०। दिनांकः-02.02.2026

प्रतिलिपिः-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-09.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

02.02.2026
(मनोज कुमार)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

بہار قانون ساز کاؤنسل

توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

اورنگ آباد ضلع کے کُٹمبا بلاک کے تحت گرام سمری خرد، موضع مہاراج گنج میں نیشنل قومی شاہراہ-۹۸ (این ایچ -۹۸) کے تحت بائی پاس سڑک کی تعمیر کے دوران ٹھیکہ دار کے ذریعہ تقریباً ۵۰ سالوں سے زیادہ وقت سے چلے آرہے ایک عوامی راستے کو پوری طرح بند کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ راستہ قبل سے نقشہ کھتیان میں درج ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پل تعمیر کے نام پر اس راستے کو گزشتہ ایک سال سے زیادہ وقت سے متاثر رکھا گیا ہے، آمدورفت میں زیادہ سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ اسکول، اسپتال، کھیت کھلیان و روزانہ کے ضروری کاموں کے لیے لوگوں کو متبادل اور لمبا راستہ اپنانے کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔

اس سنگین مسئلہ سے مقامی لوگوں کے ذریعہ ضلع انتظامیہ کو کئی بار باخبر کرایا گیا، مگر اب تک کوئی موثر اور ٹھوس کارروائی نہیں کی گئی ہے۔

یہ بھی حقیقت ہے کہ این ایچ -۹۸ کے تحت مٹپا میں انڈر پاس روڈ اور سمری کلاں میں انڈر پاس روڈ کی سہولت دستیاب کرائی گئی ہے، مگر اس کے برعکس سمری خرد، موضع مہاراج گنج میں سالوں پرانے عوامی راستے کو بند کر دیا گیا ہے۔

لہٰذا، اورنگ آباد ضلع کے کُٹمبا بلاک کے تحت گاؤں سمری خرد، موضع مہاراج گنج میں جلد انڈر پاس روڈ کی تعمیر کا نظم کرایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ سالوں سے روایتی پرانے راستے کو فوری اثر سے چالو کرانے کے لیے حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

دلیپ کمار سنگھ

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مکتوب نمبر: 25/2026-227(1)　　　مورخہ: 02.02.2026

معزز رکن، مورخہ 09.02.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

02.02.2026

(منوج کمار)

ڈپٹی سکریٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

मानननीय सभापति महोदय, 212वां सत्र

वर्तमान में विभाग द्वारा agristack होल्डर पंजीकरण के तहत किसानों का किसान कार्ड बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत यह अनिवार्य शर्त रखा गया है कि जिन किसानों के नाम से जमाबंदी होगी, उन्हीं का किसान कार्ड बनाया जा सकेगा जबकि यथा स्थिति यह है कि वर्तमान में करोड़ों किसानों के जमीनी विवाद एवं कई अन्य वजहों से जमाबंदी का बंटवारा नहीं हो पाया है। यह प्रसंशनीय है कि राज्य सरकार जमाबंदी बंटवारा यथासंभव शीघ्रता से हो सके, इसके लिए लगातार कार्यरत है। फिर भी जमाबंदी बंटवारे मे व्यवधान के कई अलग-अलग कारण है।

अत: ऐसी स्थिति में वंशावली का उपयोग करते हुए संयुक्त जमाबंदी के आधार पर किसान कार्ड बनाने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य कि मांग करता हूँ।

ह०/-
तरूण कुमार
स०वि०प०

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-26/2026-230(1)वि०प०। दिनांक:-02.02.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ कृषि विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-09.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

02.02.2026
(मनोज कुमार)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

بہار قانون ساز کاؤنسل توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

حالیہ دنوں میں محکمہ کے ذریعہ agristack ہولڈر رجسٹریشن کے تحت کسانوں کا کسان کارڈ بنایا جارہا ہے۔ اس کے تحت یہ لازمی شرط رکھی گئی ہے کہ جن کسانوں کے نام سے جمع بندی ہوگی، انہیں کا کسان کارڈ بنایا جاسکے گا جبکہ صورت حال یہ ہے کہ حال کے دنوں میں کروڑوں کسانوں کی زمینی تنازعہ اور دیگر کئی جگہوں سے جمع بندی کا بٹوارا نہیں ہو پایا ہے۔ یہ قابل ستائش ہے کہ ریاستی حکومت جمع بندی بٹوارا حتی الامکان جلد سے جلد ہوسکے، اس کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ پھر بھی جمع بندی بٹوارے میں رکاوٹ کی کئی الگ الگ وجوہات ہیں۔

لہٰذا، ایسی حالت میں شجرۂ نسب کا استعمال کرتے ہوئے مشترکہ جمع بندی کی بنیاد پر کسان کارڈ بنانے کے لیے حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

ترون کمار

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مکتوب نمبر: 26/2026-230(1)

مورخہ: 02.02.2026

معزز رکن، مورخہ 09.02.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

02.02.2026

(منوج کمار)

ڈپٹی سکریٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय, **212वां सत्र**

बिहार प्रदेश में पंचायत के विकास का जिम्मा प्रत्येक पंचायत के वार्ड सदस्यों का था। पंचायत में जहाँ भी विकास की जरूरत होती थी, उसमें उस पंचायत के वार्ड सदस्य द्वारा विकास कार्य कराया जाता था। सरकार द्वारा अब इसे समाप्त कर दिया गया है। पंचायत में विकास कार्य का काम वार्ड सदस्यों के द्वारा नहीं कराया जाता है। पंचायतों में वार्ड सदस्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। वार्ड सदस्यों को अपने वार्ड के विकास कार्य से हटा दिए जाने से वार्डों का विकास धीमा हो गया है।

अतः पूर्व की भाँति वार्ड सदस्यों को अपने-अपने वार्ड के विकास का जिम्मा दिये जाने तथा एक साल में कम से कम 07 (सात) लाख रु० का कार्य वार्ड सदस्यों के माध्यम से कराये जाने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-
राजीव कुमार
स०वि०प०

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-27/2026-229(1)वि०प०। दिनांक:-02.02.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पंचायती राज विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-09.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

02.02.2026
(मनोज कुमार)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

بہار قانون ساز کاؤنسل | **توجہ طلب اطلاع**

عزت مآب چیرمین،

صوبہ بہار میں پنچایت کی ترقی کا ذمہ ہر پنچایت کے وارڈ ممبروں کا تھا۔ پنچایت میں جہاں بھی ترقی کی ضرورت ہوتی تھی، اس میں اس پنچایت کے وارڈ ممبروں کے ذریعہ ترقیاتی کام کرایا جاتا تھا۔ حکومت کے ذریعہ اب اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ پنچایت میں ترقیاتی کام وارڈ ممبروں کے ذریعہ نہیں کرایا جاتا ہے۔ پنچایتوں میں وارڈ ممبروں کا اہم رول ہے۔ وارڈ ممبروں کو اپنے وارڈ کے ترقیاتی کام سے ہٹا دیے جانے سے وارڈوں کی ترقی دھیمی ہوگئی ہے۔

لہٰذا، پہلے کی طرح وارڈ ممبروں کو اپنے اپنے وارڈ کی ترقی کا ذمہ دیے جانے اور ایک سال میں کم سے کم 07 (سات) لاکھ روپے کا کام وارڈ ممبروں کے ذریعہ سے کرائے جانے کے سلسلے میں حکومت سے ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

راجیو کمار

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مکتوب نمبر: 27/2026-229(1) مورخہ: 02.02.2026

معزز رکن، مورخہ 09.02.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

02.02.2026

(منوج کمار)

ڈپٹی سکریٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय, **212वां सत्र**

नवादा जिला अन्तर्गत पकरीबरावाँ प्रखंड के ग्राम पंचायत-धमौल, बेलखुण्डा, ढ़ोडा, गुलनी, ज्युरी, कबला, बुधौली, दत्तरौल पंचायत जो शेखपुरा और जमुई जिला के सीमा पर स्थित है, ग्राम पंचायतों से प्रखंड कार्यालय पकरीबरावाँ की दूरी अधिक रहने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। यदि ग्राम पंचायत धमौल में प्रखंड कार्यालय की स्थापना करा दी जाय तो ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी।

अतः जनहित में नया प्रखंड की स्थापना ग्राम पंचायत धमौल में कराने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-
अशोक कुमार
स०वि०प०

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-28/2026-231(1)वि०प०। दिनांक:-02.02.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-09.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

02.02.2026
(मनोज कुमार)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

بہار قانون ساز کاؤنسل

توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

نوادہ ضلع کے تحت پکری براواں بلاک کے گرام پنچایت دھمول، بیل کھنڈا، ڈھوڑا، گلنی، جیوری، کبلا، بدھولی، دترول پنچایت جو شیخ پورہ اور جموئی ضلع کی سرحد پر واقع ہے، گرام پنچایتوں سے بلاک دفتر پکری براواں کی دوری زیادہ رہنے کی وجہ سے گاؤں والوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر گرام پنچایت دھمول میں بلاک دفتر کا قیام کرادیا جائے تو گاؤں والوں کو کافی سہولت ہوگی۔

لہٰذا، مفاد عامہ میں نئے بلاک کا قیام گرام پنچایت دھمول میں کرانے کے لئے حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

اشوک کمار

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مکتوب نمبر: 28/2026-231(1)

مورخہ: 02.02.2026

معزز رکن، مورخہ 09.02.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

02.02.2026

(منوج کمار)

ڈپٹی سکریٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ

बिहार विधान परिषद — अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न आगामी मंगलवार, तिथि 21 माघ, 1947(श.) को बिहार विधान परिषद् के कार्यक्रम पर अंकित रहेंगे। 10 फरवरी, 2026 ई.

क्रम संख्या	प्रश्नों की नेवा संख्या	प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4	5
63.	1/212/135	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी स.वि.प.	सुविधा उपलब्ध नहीं	स्वास्थ्य
64.	1/212/162	श्री कुमार नागेन्द्र स.वि.प.	नल-जल योजना का दायित्व	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
65.	1/212/209	श्री सौरभ कुमार स.वि.प.	योजना की मॉनिटरिंग	तदैव
66.	1/212/267	श्री अशोक कुमार स.वि.प.	पंचायत बड़ोसर में उप-स्वास्थ्य केन्द्र	स्वास्थ्य
67.	1/212/289	श्री नीरज कुमार स.वि.प.	मेगा स्किल सेंटर एवं प्रशिक्षण	उद्योग

68.	1/212/333	डॉ० अजय कुमार सिंह स.वि.प.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमण	स्वास्थ्य
69.	1/212/450	प्रो० संजय कुमार सिंह स.वि.प.	ट्रांसफॉर्मर का सुरक्षा घेरा	ऊर्जा
70.	1/212/726	प्रो० (डा०) वीरेन्द्र नारायण यादव स.वि.प.	आयुष कॉलेज एवं अस्पताल	स्वास्थ्य
71.	1/212/835	श्री मो० फारूक स.वि.प.	सदस्य मनोनीत	तदैव
72.	1/212/916	डा० उर्मिला ठाकुर स.वि.प.	परिचारिका की सेवा सम्पुष्ट	तदैव
73.	1/212/349	डॉ० अजय कुमार सिंह स.वि.प.	कौशल प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र	तदैव

6/2/26

(अखिलेश कुमार झा)
सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक:-वि.प.प्र.- 22/2025/ 65 (5) वि.प.,दिनांक- 06.2.2026

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री,बिहार / माननीय उपमुख्यमंत्री द्वय, बिहार / माननीय मंत्रीगण / राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना / लोकायुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना तथा सचिवालय के सभी विभागों एवं विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.2.2026

(शंकर कुमार)
निदेशक
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् तारांकित प्रश्नों की सूची

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न आगामी मंगलवार, तिथि 21 माघ, 1947(श.) को बिहार विधान परिषद् के कार्यक्रम पर अंकित रहेंगे। 10 फरवरी, 2026 ई.

क्रम संख्या	प्रश्नों की नेवा संख्या	प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4	5
91.	1/212/33	श्रीमती शशि यादव स.वि.प.	मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान	स्वास्थ्य
92.	1/212/36	डॉ० अजय कुमार सिंह स.वि.प.	डायलेसिस की व्यवस्था	तदैव
93.	1/212/64	श्री महेश्वर सिंह स.वि.प.	बकाये राशि का भुगतान	गन्ना उद्योग
94.	1/212/131	श्री सौरभ कुमार स.वि.प.	वैकल्पिक शैक्षणिक प्रबंध	स्वास्थ्य

95.	1/212/161	श्री कुमार नागेन्द्र स.वि.प.	जगन्नाथपुर में पेयजल की समस्या	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
96.	1/212/169	श्री अशोक कुमार स.वि.प.	शव वाहन उपलब्ध	स्वास्थ्य
97.	1/212/218	श्री सर्वेश कुमार स.वि.प.	औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025	उद्योग
98.	1/212/224	श्री राजीव कुमार स.वि.प.	उप-स्वास्थ्य केन्द्र का पुनर्निर्माण	स्वास्थ्य
99.	1/212/280	श्री नीरज कुमार स.वि.प.	स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं	तदैव
100.	1/212/445	डा० मदन मोहन झा स.वि.प.	स्टार्टअप ऋण	उद्योग
101.	1/212/463	श्री अशोक कुमार पान्डेय स.वि.प.	एडिशनल पी.एच.सी भवन का निर्माण	स्वास्थ्य
102.	1/212/510	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी स.वि.प.	मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता	अल्पसंख्यक कल्याण
103.	1/212/654	श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव स.वि.प.	बिजली उपलब्ध कब तक	ऊर्जा
104.	1/212/665	श्री अशोक कुमार अग्रवाल स.वि.प.	आर.बी.एच.एम. जूट मिल	उद्योग
105.	1/212/673	प्रो० (डॉ०) वीरेन्द्र नारायण यादव स.वि.प.	नीतू कुमारी का चयन	स्वास्थ्य
106.	1/212/727	श्री अफाक अहमद खां स.वि.प.	विद्युत सर्विस तार	ऊर्जा

107.	1/212/815	श्री राजीव कुमार ऊर्फ गप्पू बाबु स.वि.प.	गोपालगंज और बेतिया जिला में औद्योगिक क्षेत्र	उद्योग
108.	1/212/830	श्री भूषण कुमार स.वि.प.	वैशाली जिले में नल-जल योजना	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
109.	1/212/838	श्री मो० फारूक स.वि.प.	अधीक्षक का पदस्थापन	स्वास्थ्य
110.	1/212/900	प्रो० गुलाम गौस स.वि.प.	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय	अल्पसंख्यक कल्याण
111.	1/212/908	श्री मो० सोहैब स.वि.प.	कर्मियों का स्थानान्तरण	स्वास्थ्य
112.	1/212/975	श्रीमती रेखा कुमारी स.वि.प.	कृषि कार्य हेतु पोल एवं विद्युत तार	ऊर्जा

(अखिलेश कुमार झा)
सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांकः-वि.प.प्र.- 22/2025/ 66 (5) वि.प.,दिनांक 06.2.2026

प्रतिलिपिः- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उपमुख्यमंत्री द्वय सहित अन्य मंत्रीगण / राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना / लोकायुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना तथा सचिवालय के सभी विभागों एवं विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.2.2026
(शंकर कुमार)
निदेशक
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

वि.प.अ.प्र.- 32 /2024 - 262(1) /वि.प., दिनांक - 06.02.2026

बिहार विधान परिषद्

सत्र- 212वाँ

03 फरवरी, 2026 को 5.00 बजे अपराह्न हुए शलांकन के फलस्वरूप दिनांक- 10.02.2026 को सदन के विचारार्थ उपस्थापित किये जाने वाले विराजकीय संकल्पों का क्रमवार निम्नवत् होगा।

(माननीय सदस्यों के लिए मूलपाठ कार्यसूची के अनुपूरक के रूप में यथा समय प्रेषित किया जाएगा।)

क्रम सं०	माननीय सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	श्री कुमार नागेन्द्र	गया जी जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमंडल को जिला का दर्जा प्रदान करने के संबंध में।	सामान्य प्रशासन विभाग
02.	श्री घनश्याम ठाकुर	दरभंगा महाराजा स्वर्गीय महाराजा कामेश्वर सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करने के संबंध में।	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
03.	श्रीमती रीना देवी	अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में।	सामान्य प्रशासन विभाग
04.	श्री महेश्वर सिंह	पंचायती राज प्रतिनिधियों को शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्गत करने के संबंध में।	गृह विभाग
05.	डॉ० अजय कुमार सिंह	सुपौल रेलवे स्टेशन के दक्षिण छोर पर स्थित झखराही रेल फाटक (सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज के निकट) पर अंडरपास के निर्माण हेतु भारत सरकार से सिफारिश करने के संबंध में।	परिवहन विभाग
06.	श्री सच्चिदानन्द राय	सारण जिलान्तर्गत सदर प्रखंड में अवस्थित पुरातात्विक स्थल चिरांद को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिलाने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करने के संबंध में।	कला एवं संस्कृति विभाग
07.	श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह	पटना जिलान्तर्गत पुनपुन प्रखंड के सभी 14 (चौदह) पंचायतों की जमीन के निबंधन की व्यवस्था पुनपुन प्रखंड मुख्यालय में करने के संबंध में।	मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग
08.	श्री तरूण कुमार	स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में यथोचित वृद्धि करने के संबंध में।	पंचायती राज विभाग

09.	श्री वंशीधर ब्रजवासी	राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवा के पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा (सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष) तक के उम्र वाले सभी स्नातक योग्यताधारी शिक्षित बेरोजगार को प्रतिमाह 5000 रू० बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान करने के संबंध में।	समाज कल्याण विभाग
10.	श्री भीमस साहनी	पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा पुलिस जिला को राजस्व जिला घोषित करने के संबंध में।	सामान्य प्रशासन विभाग
11.	श्री सौरभ कुमार	ग्रामीण कार्य विभाग में असीमित कम दर पर निविदा डालने की व्यवस्था बंद कर प्राक्कलित राशि से अधिक से अधिक दस प्रतिशत कम दर का उल्लेख करने का प्रावधान लागू करने के संबंध में।	ग्रामीण कार्य विभाग
12.	श्री अशोक कुमार	नवादा जिला के पकरीबरांवा पुलिस अनुमंडल को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा प्रदान करने के संबंध में।	सामान्य प्रशासन विभाग
13.	श्री नवल किशोर यादव	राज्य के वित्त रहित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को यथाशीघ्र वेतनमान देने के संबंध में।	शिक्षा विभाग
14.	प्रो०(डॉ०) वीरेन्द्र नारायण यादव	शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने के संबंध में।	शिक्षा विभाग
15.	श्री जीवन कुमार	राज्य के वित्त अनुदानित माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों/ कर्मचारियों को अनुदान के बदले वेतन संरचना निर्धारित कर प्रतिमाह वेतन भुगतान करने के संबंध में।	उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग
16.	डॉ० संजीव कुमार सिंह	राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट विद्यालयों में नियुक्त/ कार्यरत शिक्षकों की भांति अराजकीय अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में वेतन-संरचना का लाभ हूबहू प्रावधानित करने के संबंध में।	शिक्षा विभाग
17.	श्री अशोक कुमार पान्डेय	रोहतास जिला में कृषि महाविद्यालय की स्थापना करने के संबंध में।	कृषि विभाग
18.	डॉ० मदन मोहन झा	राज्य के वित्त अनुदानित इंटर महाविद्यालयों, डिग्री महाविद्यालयों एवं वित्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के सभी बकाये अनुदान का एकमुश्त भुगतान के साथ-साथ नियत वेतनमान का प्रावधान सुनिश्चित करने के संबंध में।	उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग
19.	डॉ० उर्मिला ठाकुर	भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करने के संबंध में।	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
20.	श्रीमती शशि यादव	निजी छात्रावासों में रह रही छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा महिला हिंसा की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक कारगर नियामक संस्था का गठन करने के संबंध में।	गृह विभाग

21.	श्री सर्वेश कुमार	समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंडान्तर्गत डरौरी गांव में 88 वर्षों से अनवरत आयोजित राम विवाह उत्सव मेला को राजकीय उत्सव घोषित करने के संबंध में।	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
22.	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी	राज्य के बंद सभी चीनी मिलों को शीघ्र चालू करने के संबंध में।	गन्ना उद्योग विभाग
23.	प्रो० संजय कुमार सिंह	राज्य सरकार के सभी कोटि के कर्मचारियों के लिए देय सप्तम वेतनमान का लाभ राज्यकर्मी घोषित सभी कोटि के शिक्षकों के लिए भी स्वीकृत करने के संबंध में।	शिक्षा विभाग

6/2/26
(अखिलेश कुमार झा)
सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक:- वि.प.अ.प्र.- 32/2024 - 262(1) / वि.प.। दिनांक:- 06.02.2026

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, बिहार सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ सचिव, बिहार विधान सभा/ मुख्य सचिव, बिहार/ सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार एवं राज्य सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.02.2026
(मनोज कुमार)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद
आयुषराज